रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2001.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 19 अप्रैल, 2001/29 चैत्र, 1923

HIMACHAL PRADESH NINTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

Shimla-171 004, *the* 19*th April*, 2001

No. 1-101/99-V. S.—The Rules Committee in its Third Report (Ninth Vidhan Sabha) 2000-2001, recommended certain amendments to the Rules of Procedure and Conduct of Business of Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973. The Report was laid on the Table of the House on the 4th April, 2001. Within seven days, no notice of amendment under Rule 261 (1) was received. Thus, in accordance with the provisions of Rule 261 (3), these recommendations are deemed to have been approved by the House. Consequently, the Hon'ble Speaker is pleased to order that these amendments be incorporated in the Rules as per Annexure-'A' appended to this Notification.

AJAI BHANDARI,
Secretary.

अध्याय-2

संस्तुतियां

(ग.ग) प्राक्कलन समिति

नियम 248-क :

अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित एक प्राक्कलन समिति होगी जिसमें 9 से अधिक सदस्य नहीं होंगे ।

नियम 248-ख—कृत्य :

1. प्राक्कलनों से सम्बन्धित नीति से संगत क्या मितव्ययताएं, संगठन में सुधार, कार्यपटुता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं इस सम्बन्ध में सुझाव देना;

2. प्रशासन में कार्यपटुता और मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना;

3. प्राक्कलनों में अन्तर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से खर्च हुआ है, या नहीं, इसकी जांच करना;

4. प्राक्कलन किस रूप में सभा में प्रस्तुत किए जायेंगे इसका सुझाव देना ; तथा

5. प्राक्कलनों की जांच वित्तीय वर्ष भर समय-समय पर जारी रख सकेगी और जैसे-जैसे वह जांच पूर्ण हो जाये सभा को प्रतिवेदित करना। समिति के लिए यह अनिवार्य न होगा कि वह किसी एक वर्ष के सब प्राक्कलनों की जांच करें । इस बात के होते हुए भी कि समिति ने कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है ; अनुदान की मांगों पर अन्तिम रूप से मतदान हो सकेगा :

परन्तु समिति सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति या विभागीय स्थाई समितियों को इन नियमों द्वारा अथवा अध्यक्ष या सभा द्वारा सौंपे गए कृत्यों की जांच नहीं करेगी ।

(झ) कल्याण समिति

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पिछड़ी जातियों एवं महिलाओं के कल्याण सम्बन्धी समिति का नाम "कल्याण समिति" में परिवर्तित करना :—

नियम 271—समिति का गठन :

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों एवं महिलाओं के कल्याण हेतु एक "कल्याण समिति" होगी जिसमें नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे तथा या अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होगी ।

नियम 272—नियम 272 (8) तथा (10) का विलोप कर दिया जाए ।

(झ.झ.) अधीनस्थ विधायन समिति

नियम 272 "क"—समिति का गठन :

अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित एक अधीनस्थ विधायन समिति होगी जिसमें नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे।

निमन 272-ख—कृत्य :

1. क्या प्रत्यायोजित विधान, संविधान या उस अधिनियम के सामान्य उद्देश्यों के अनुकूल है जिसके अनुसरण में यह बनाया गया है,

2. क्या उसमें ऐसा कोई विषय अन्तर्विष्ट है या नहीं जिसको कि समिति की राय में विधान मण्डल के किसी अधिनियम के तहत अधिक समुचित ढंग से निपटाया जा सकता है,

3. क्या उसमें कोई करारोपण अन्तर्विष्ट है या नहीं,

4. क्या वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर रोक लगाता है या नहीं,

5. क्या उन उपबन्धों में से किसी को भूतलक्षी प्रभाव देता है या नहीं जिनके सम्बन्ध में संविधान या अधिनियम, जिसके अनुसरण में वह बनाया गया है, स्पष्ट रूप से ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता,

6. क्या उसमें राज्य संचित निधि या लोक राजस्व में से व्यय अन्तर्ग्रस्त है या नहीं,

7. क्या उसमें संविधान या उस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का असामान्य अथवा अप्रत्याशित उपयोग किया गया प्रतीत होता है या नहीं जिसके अनुसरण में वह बनाया गया है,

8. क्या उसके प्रकाशन में या विधान सभा के समक्ष रखे जाने में अनुचित विलम्ब हुआ प्रतीत होता है या नहीं,

9. क्या किसी कारण उसके रूप या अभिप्राय के लिए किसी विशुद्धिकरण की आवश्यकता है, या नहीं, और

10. समिति सभा पटल पर रखे जाने वाले सभी पत्रों की जांच करेगी और सभा को इन बातों के बारे में प्रतिवेदन देगी:—

(क) क्या संविधान, अधिनियम, नियम या विनियम के उन उपबन्धों का पालन किया गया है जिनके अन्तर्गत पत्र सभा पटल पर रखा गया है,

(ख) क्या पत्रों को सभा पटल पर रखने में कुछ अनुचित विलम्ब हुआ है,

(ग) यदि ऐसा विलम्ब हुआ है तो क्या विलम्ब के कारणों को बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है और क्या वे कारण सन्तोषजनक हैं,

(घ) क्या सभा पटल पर रखने के लिए किसी दस्तावेज के बारे में अत्याधिक विलम्ब तो नहीं हुआ है ; और

(ङ) समिति सभा पटल पर रखे गये पत्रों के अतिरिक्त अन्य ऐसे कृत्य भी करेगी जो उसे अध्यक्ष या सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाएं ।

नियम 272 "ग"--समिति का प्रतिवेदन :

1. यदि समिति की यह राय हो, कि ऐसा कोई विधान पूर्णतः या अंशतः रद्द कर दिया जाना चाहिए या उसमें किसी प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए तो वह उक्त राय तथा उसके कारण सभा को प्रतिवेदित करेगी ।

2. यदि समिति की राय हो कि, ऐसे विधान से सम्बन्धित अन्य किसी विषय की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए, तो वह उक्त राय तथा विषय सभा को प्रतिवेदित कर सकेगी ।

(ञ) विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां

नियम 273 : नियम 273 (4) (7) व (10) का विलोप कर दिया जाए ।

नियम 273--विभागों से सम्बन्धी स्थाई समितियां :

विभागीय स्थाई समितियां अध्यक्ष द्वारा प्रति वर्ष नाम निर्देशित की जायेंगी जिनमें नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो कि निम्न मांगों से सम्बन्धित कार्यकलापों को देखेंगी :—

1. **जन-प्रशासन समिति :**

मांग संख्या	विभाग
2	राज्यपाल तथा मन्त्री परिषद्
3	न्याय प्रशासन और निर्वाचन
4	सामान्य प्रशासन
5	भू-राजस्व और जिला प्रशासन
6	आबकारी एवं कराधान
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन
21	सहकारिता
22	खाद्य और भाण्डागारण

2. **मानव विकास समिति :**

8	शिक्षा
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना

24	मुद्रण एवं लेखन सामग्री
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण
29	वित्त
30	विविध सामान्य सेवाएं

3. **सामान्य विकास समिति :**

10	लोक निर्माण-भवन
13	सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण
17	सड़कें और पुल
23	जल और विद्युत विकास
25	सड़क और जल परिवहन
26	पर्यटन और नागर विमानन
28	जलापूर्ति, सफाई, आवास और नगर विकास

4. **ग्रामीण नियोजन समिति :**

11	कृषि
12	उद्यान
14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य
16	वन और वन्य जीवन
18	आपूर्ति, उद्योग और खनिज
20	ग्रामीण विकास

कृत्य :

1. विभाग की अनुदान मांगों पर विचार करना ।

2. विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना ।

3. नीति सम्बन्धी दस्तावेजों या सभा में उठाए गए महत्वपूर्ण विषयों जिन्हें सभा या अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपा जाए, पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।

4. स्कीमों से सम्बन्धित उन्हीं विषयों पर समिति विचार करेगी जिन्हें अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपा गया हो ।

5. समिति सदन में विभिन्न मंत्रियों द्वारा अपने विभागों के सम्बन्ध में दिए गए आश्वासनों एवं वायदों की भी जांच करेगी कि ;

(क) किस हद तक वे वायदे और आश्वासन कार्यान्वित हो चुके हैं; तथा

(ख) जो आश्वासन और वायदे कार्यान्वित हो चुके हैं क्या वे कम से कम समय में जो उसके लिए अपेक्षित था, किए गए ?

6. विभागों से सम्बन्धित विधेयकों की जांच करना तथा सभा को सूचित करना कि जो शक्तियां विधेयक के नियम, विनियम, उप-विनियम, बाईलाज बनाने के लिए संविधान या सांविधिक इकाई द्वारा दी गई, क्या उनको उसी परिधि के अन्दर रखा गया है या नहीं।

7. इस बात को सुनिश्चित करना कि विभागों में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में हो, यदि उसमें कमी है तो उसको किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में सुझाव देना।

8. समिति उसे सौंपी गई प्रत्येक याचिका की जांच करेगी और यदि याचिका में इन नियमों का पालन किया गया हो तो समिति निर्देश दे सकेगी है कि उसे परिचालित किया जाए, यदि याचिका के परिचालन का निर्देश न दिया हो, तो अध्यक्ष किसी भी समय निर्देश दे सकेगा कि याचिका को परिचालित किया जाए: —

(क) याचिका उसके सविस्तार अथवा संक्षिप्त रूप में परिचालित की जायेगी जैसा कि यथा स्थिति, समिति अथवा अध्यक्ष निर्देश दे,

(ख) समिति का यह भी कर्त्तव्य होगा कि ऐसा साक्ष्य प्राप्त करने क बाद जैसा कि यह ठीक समझे, उसे सौंपी गई याचिका में की गई विशिष्ट शिकायतें सभा को प्रतिवेदित करें, और विचाराधीन मामले से सम्बन्धित ठोस रूप से या भविष्य में ऐसे मामले रोकने के लिए प्रतिकारक उपायों का सुझाव दें,

(ग) समिति ऐसे विभिन्न व्यक्तियों, संस्थानों आदि से प्राप्त अभ्यावेदनों, पत्रों तथा तारों पर भी विचार करेगी जिनका नियम 181 के अन्तर्गत समावेश न होता हो और उनके निपटारे के लिए निर्देश भी देगी :

परन्तु ऐसे अभ्यावेदनों आदि पर जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हों, समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा अपितु सचिवालय मे इनकी प्राप्ति पर इन्हें नस्तिबद्ध कर दिया जायेगा :—

(1) गुमनाम पत्रों या ऐसे पत्रों, जिनके ऊपर भेजने वालों के नाम और/या पते न लिखे गये हों अथवा वे अपाठय हों, या वे किसी एक ही व्यक्ति की समस्या से सम्बन्धित हों; और

(2) सभा या अध्यक्ष के अतिरिक्त प्राधिकारियों को लिखे गए पत्रों की पृष्टांकित प्रतियां।

9. अन्य कोई भी विषय जो सभा या अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपा जाए।

10. **अनुदान मांगों बारे प्रक्रिया**.—प्रत्येक स्थायी समिति द्वारा अनुदान की मांगों पर विचार करने एवं सदन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निम्न प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा :—

(क) बजट पर सामान्य चर्चा हो चुकने के बाद सभा को निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दिया जायेगा,

(ख) समितियां उपरोक्त अवधि के दौरान सम्बन्धित विभागों की अनुदान की मांगों पर विचार करेगी,

(ग) समितियां उपरोक्त अवधि के दौरान अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और इसमें अधिक समय दिये जाने का अनुरोध नहीं करेगी,

(घ) सभा द्वारा अनुदानों की मांगों पर इन समितियों के प्रतिवेदनों के परिप्रेक्ष्य में विचार किया जायेगा और तदन्तर उन्हें पारित किया जायेगा ; और

(ङ) प्रत्येक विभाग की अनुदान मांगों पर अलग प्रतिवेदन होगा।

11. **विचार न किये जाने वाले विषय.**—स्थायी समितियां उन मामलों पर विचार नहीं करेगी जिन पर अन्य संसदीय समितियों द्वारा विचार किया जाता है ।